बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**

पू.उ.प्र.अं./42/एसएलबीसी/सितम्बर 2015/58 08.02.2016

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त सितम्बर 2015 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त सितम्बर 2015 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(संजय कुमार वर्मा)
सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

jkT; Lrjh; cSadlZ lfefr ¼m-iz-½] vapy dk;kZy;] lwohZ m-iz- vapy] **cM+kSnk gkml**] oh&23] foHkwfr [k.M] xkserh ux] y[kuÅ &226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Qksu@Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) QSDI@Fax:0522-6677726, 6677732
bZ&esy@E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in osclkbV@Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर' 2015 तिमाही की दिनांक 15.12.2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर' 2015 त्रैमास की समीक्षा बैठक **दिनांक 15.12.2015** को **"महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ** में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता **श्री बी. बी. जोशी, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई** द्वारा की गयी।

बैठक में श्री प्रवीर कुमार, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय; श्री रजनीश गुप्ता, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, (पशुपालन), उ.प्र. शासन; श्री रजनीश दूबे, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (हथकरघा, वस्त्रोद्योग व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग), उ.प्र. शासन; श्रीमती नीना शर्मा, आई.ए.एस., आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर, उ.प्र. शासन; श्रीमती शिखी शर्मा, महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की उपस्थिति प्रमुख रही। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सभी के सहयोग व मार्गदर्शन के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित -10- में से -6- मानको में पूरे भारतवर्ष में सर्वोत्तम घोषित किया गया है, जिसके प्रमाणपत्र (Certificates) आज की एजेण्डा नोटबुक के कवरपेज के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। उन्होने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का इस उपलब्धि के लिए प्रदान किये गये सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया।

- विगत 10 सितम्बर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में चयनित बैंकर्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक मुम्बई में आयोजित की गयी थी। इस बैठक का एजेण्डा संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा सभी बैंकर्स को भेजा गया था। बैठक के दौरान प्रदेश में -1000- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना, बैंक शाखाओं द्वारा गांवो का अंगीकरण, प्रदेश में पूंजी निवेश इत्यादि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी थी। प्रदेश के ऋण जमा अनुपात एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला।

- प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में "मुद्रा ऋण योजना" का उल्लेख करना समीचीन होगा क्योंकि इसके माध्यम से प्रदेश में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रदेश में इस योजनांतर्गत अभी तक वार्षिक लक्ष्य रू. 9082.70 करोड़ के सापेक्ष रू. 2479.70 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जो लक्ष्यों का 27.30% उपलब्धि दर्शाता है।

- ऋण जमा अनुपात के अखिल भारतीय स्तर – 77.40% के सापेक्ष प्रदेश में ऋण जमा अनुपात का स्तर 30.09.2015 तक 53.77% रहा है। यद्यपि विगत मार्च 2011 से -4- वर्षों की अवधि में प्रदेश का CDR 6% से अधिक वृद्धि दर्शाता है तथापि इसमें व्यापक सुधार व वृद्धि की आवश्यकता है। बैंको से अनुरोध है कि वे ऋण प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक पहल करें।

- रबी 2014-15 में बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रदेश के कुल -55- जनपदों में फसलों को हुई व्यापक क्षति के उपरांत खरीफ 2015 फसल सीजन में भी प्रदेश के -50- जनपद सूखाग्रस्त घोषित किये गये है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 50% से अधिक नुकसान की स्थिति में राहत प्रदान करने सम्बन्धी विद्यमान निर्देशों को संशोधित करते हुए 33% से 50% तक क्षति की स्थिति में राहत प्रदान करने सम्बन्धी नवीन निर्देश दिनांक 21.08.2015 को जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त दिशा निर्देशन एवं स्पष्टीकरण से सभी सम्बन्धित को अवगत कराया गया है।

  बैंको द्वारा तदनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। साथ ही माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही मे फसली बीमा योजना के कवरेज से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। सभी बैंको द्वारा इस आदेश एवं विद्यमान निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। सभी स्टेकहोल्डर्स से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इन विद्यमान दिशा- निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इस सन्दर्भ में प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सभी बैंकर्स से अनुरोध है कि इन निर्देशों के अंतर्गत एक आम सहमति तैयार कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित हो।

- प्रदेश में सभी बैंको के लगभग 8.95 लाख वसूली प्रमाण पत्र विभिन्न जनपदों में वसूली हेतु लम्बित है जिनमें बैंको की कुल रू. 5009.32 करोड़ की धनराशि शामिल है। बकाया बैंक ऋणों की वसूली में अपेक्षित सुधार हेतु राज्य सरकार से सकारात्मक सहयोग का आश्वासन भी मिला। माननीय मुख्य सचिव महोदय उ.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देश दिनांक 4 सितम्बर 2015 के क्रम में प्रत्येक जनपद के -50- बड़े वसूली प्रमाण पत्रों की वसूली एवं सरफैसी एक्ट, 2002 के मामलों में बैंको को आवश्यक सहयोग हेतु निवेदन किया गया है ताकि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को इस हेतु निर्देशित किया जा सके। सभी बैंको द्वारा इस क्रम में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वसूली की स्थिति को सुदृढ़ किया जाये।

- विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा निरंतर कार्यवाही करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयास जारी है। इन प्रयासों की सफलता के क्रम में विकास योजनाओं से सम्बन्धित नोडल एजेंसीज द्वारा मार्जिन मनी/ अनुदान की समय से उपलब्धता एवं पुराने बकाया खातों में ऋण अदायगी हेतु प्रभावी सहयोग की आवश्यकता है।

अपने सम्बोधन के अंत में श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्बन्धित विभागों, बैंको एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित सुसंगत आंकड़ो का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियों व राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं की प्रगति को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में **श्री बी. बी. जोशी, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा** ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया एवं प्रदेश में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों व सफलता हेतु सभी हितधारकों के सहयोग की प्रशंसा की। प्रदेश के अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री जन धन योजना को लागू करने में प्रदेश को मिली उपलब्धि हेतु उन्होंने समस्त स्टेकहोल्डर्स को बधाई दी। हमें इस सफलता को बनाये रखने, अग्रसर बने रहने और वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास करते रहना होगा।

उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई के लिए चिन्हित जिलों में राहत पहुँचाने हेतु निर्धारित दिशा- निर्देशों के अंतर्गत विशेष कदम उठाने का आह्वान किया। इसके लिए समस्त बैंको को आपसी सहयोग एवं सामंजस्य से कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री जोशी ने प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में व्यापक सुधार एवं वृद्धि हेतु बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जून 2015 के सापेक्ष इस तिमाही में ऋण जमा अनुपात में मामूली वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इसी प्रकार प्रदेश में 40% से कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले भी घट कर अब 12 रह गये है जो एक अच्छा प्रयास है। आज की परिस्थिति में इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु सभी बैंकर्स को प्रयास करने होंगे और इस कार्य हेतु प्रदेश सरकार का भरपूर सहयोग भी अपेक्षित है। साथ ही साथ समस्त बैंको व वित्तीय संस्थानों से भी समस्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। इसी क्रम में कृषि ऋणों में वसूली हेतु सघन प्रयास करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि बकाया ऋणों की वसूली हेतु बैंकर्स को भरपूर सहयोग प्रदान करने हेतु और प्रभावी कार्यवाही की जाये।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री बी. बी. जोशी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए प्रमुख तीनों बिन्दुओं यथा प्राकृतिक आपदा के मामलों में राहत प्रदान करने, ऋण जमा अनुपात में वृद्धि एवं बैंक देयों की वसूली हेतु बैंको द्वारा सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया एवं राज्य सरकार के सहयोग का अनुरोध किया साथ ही वित्त मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड का पूरी तरह से पालन करने और आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समग्र प्रयास करने का अनुरोध किया।

श्री प्रवीर कुमार, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ. प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में सर्वप्रथम प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल क्रियांवयन पर समस्त बैंकर्स को बधाई दी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के विकास में बैंकर्स की सकारात्मक भूमिका रही है और उनके समेकित प्रयासों से ही प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना व वित्तीय समावेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियांवित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की वृद्धि में आ रही समस्याओं पर विचार कर उनके समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ आयात निर्यात की समस्याएँ भी है जिसका मुख्य कारण प्रदेश की सीमाओं का परिसीमन होना है

जिसकी वजह से आर्थिक आदान – प्रदान में मुश्किलें आती हैं। यह समस्या काफी पुरानी है जिसको स्वीकार कर इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। हम इस प्रदेशवासियों से यह आह्वान कराना चाहेंगे कि वे Job Seeker के बजाय Job Provider बनें और उनके इस कार्य में सभी बैंकर्स का सहयोग अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन, खेती व क्रय करने की शक्ति ही इस प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। प्रदेश के 53% के ऋण जमा अनुपात पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रदेश की जनसंख्या जो लगभग 20 करोड़ है, यहाँ पर उत्पादन के लिए निवेश चाहिए जो बैंको के सहयोग से ही सम्भव हो पायेगा। इस प्रदेश में बड़े उद्योगों के सफल न हो सकने के विभिन्न कारण है इसलिए यहाँ पर छोटी- छोटी जोतों पर ही कार्य करना होगा।

इसके साथ ही कृषि की एलायड गतिविधियों जैसे – डेयरी उद्योग, एग्री बिजनेस व कृषि मशीनीकरण आदि पर भी विशेष ध्यान देना होगा इसके लिए यहाँ के किसानों को जागरूक व उत्साहित करना होगा।

श्री प्रवीर कुमार ने प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलो की क्षतिपूर्ति हेतु बीमित किसानों को मुआवजा व राहत प्रदान करने पर भी चर्चा की। साथ ही डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों के खातों मे धनराशि का सफल प्रेषण भी वृहद रूप से किया गया। जो प्रदेश की एक विशाल उपलब्धि रही है।

अपने सम्बोधन के अंत में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने पुनः सभी बैंकर्स से वांछित सहयोग की अपेक्षा की और किसानों को ऋण प्रदान करने की सरल प्रक्रिया लागू करने के लिए बैंकर्स का आह्वान किया।

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय ने अपने सम्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की मुम्बई बैठक पर अपने विचार व्यक्त किये और उ.प्र. में होने वाले निवेश हेतु अग्रिम उपलब्ध कराने के लिए बैंकर्स का आह्वान किया जिससे प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि हो सके।

प्रदेश में गैर निष्पादक आस्तियों को कम करने के लिए सघन प्रयास किये जाने चाहिए इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश भी जारी किया जा चुका है जिसका अनुपालन बैंकर्स द्वारा किया जाना चाहिए। निश्चय ही इन प्रयासों से बैंको के पास फण्डस की रीसाइकलिंग आसान हो सकेगी।

इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री बैंकिंग एवं बीमा हेल्पलाइन नं. 1520 का भी उल्लेख किया जिस पर आम- जन अपनी बैंकिंग एवं बीमा सम्बन्धी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सन्दर्भ में मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के पत्रांक 1441/(बी)/कoनि0-6-2015-20बी(29)/12 दिनांक 23.11.2015 जो हमें विशेष सचिव के पत्रांक 1441(1)/(बी)/कoनि0-6-2015-20बी(29)/12 दिनांक 23.11.2015 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, का उल्लेख करते है।

गाँवों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बैंकर्स से गाँवों को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध दोहराया जिससे सम्बन्धित गाँवों में प्रगति दिखाई दे। इसी क्रम में श्री यादव ने प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम पर भी चर्चा की।

श्री रजनीश दूबे, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग), उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में उ.प्र. में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने अवगत कराया कि हमारा प्रदेश एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है अत: इस क्षेत्र में प्रगति हेतु समस्त स्टेक होल्डर्स का सहयोग अपेक्षित है। दिनांक 23.01.2016 को होने वाली एम.एस.एम.ई. पालिसी की उदघोषणा के बारे में भी उन्होंने सदन को अवगत कराया। प्रदेश में बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अभी तक इस क्षेत्र में सिर्फ 10% की उपलब्धि प्राप्त की गयी है।

बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति की चर्चा करते हुए उन्होंने मार्जिन मनी क्लेम के बारे में चर्चा करते हुए महसूस की जा रही समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने अपेक्षा की कि इस योजनांतर्गत मार्जिन मनी की धनराशि नाबार्ड से सम्बन्धित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को सीधे ही प्रेषित करने हेतु विचार किया जाये ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्बन्धित शाखाओं को धनराशि शीघ्रता से प्रेषित की जा सके।

उन्होंने सभी बैंकर्स से आह्वान किया कि बुनकरों की समस्याओं को सुलझाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये।

श्रीमती शिखी शर्मा, प्रभारी महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला –

- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बेहतर कार्य निष्पादन हेतु पूरे देश में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) को मिले -6- पुरस्कारों हेतु एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) एवं राज्य सरकार बधाई के पात्र है जिनके सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में विभिन्न मानकों के अंतर्गत विशेष उपलब्धि हासिल हो सकी है।
- बैंकर्स द्वारा सरकारी योजनाओं की प्रगति हेतु किये जा रहे प्रयासों पर एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के सहयोग पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु सुधार की आवश्यकता हर क्षेत्र में है।
- फसल बीमा योजना के अंतर्गत समस्त सम्बन्धितों को इसका उचित लाभ प्राप्त होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त कृषकों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने का हर सम्भव प्रयास बैंकर्स को करना होगा तभी ही समग्र विकास का ध्येय पूरा होगा। पीड़ित किसानों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की उत्पीड़ात्मक कार्यवाही न की जाये – ऐसा समस्त बैंकर्स द्वारा निर्देश जारी किये जाने चाहिए।
- अपने उदबोधन में श्रीमती शर्मा ने बैंकर्स एवं प्रशासन को आपसी सामंजस्य के साथ एक जुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इसी क्रम में उन्होंने स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तीकरण एवं ग्रामोत्थान पर भी सुनियोजित ढ़ंग से कार्य करने पर अपने उदगार व्यक्त किये।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होने सभी बैंकर्स एवं राज्य सरकार के सहयोग हेतु अनुरोध दोहराया। उन्होंने सभी बैंकर्स से अनुरोध किया कि सुसंगत आंकड़ो का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को किया

जाए ताकि उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रगति एवं प्रदेश की स्थिति के बारे में समय से उल्लेख किया जा सके।

उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी -

कार्यसूची संख्या – 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 04.09.2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

विगत बैठक दिनांक 04.09.2015 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 30.10.2015 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या – 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 04.09.2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. **प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर – सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन :**

सदन को अवगत कराया गया कि सभी बैंको द्वारा कुल मिलाकर -75- आर सेटी संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक के समंवय में दिनांक 23.11.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की बैठक में इन संस्थानों की स्थापना से सम्बन्धित विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की गयी। वर्तमान मे सभी आर सेटीज किराये के भवनों में चल रही हैं। राज्य सरकार ने अभी तक -72- जनपदों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है शेष -2- जनपद गाजियाबाद और आगरा में रूडसेटीज पहले से ही कार्यरत है तथा जनपद सुल्तानपुर में भूमि आवंटन शेष है। इस क्रम में पंजाब नेशनल बैंक और सिण्डीकेट बैंक के अग्रणी जिलों यथा शामली व सम्भल तथा हापुड़ में आर सेटी की स्थापना हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए मार्ग दर्शन का अनुरोध किया गया है।

2. **बड़ौदा यू पी ग्रामीण बैंक को Recapitalization assistance प्रदान करना :**

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0 प्र0 से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय पर उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अध्यक्ष, बड़ौदा उ.प्र. ग्रामीण बैंक ने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा MoU के -2- बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है जिस पर भारत सरकार से प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

3. **प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों हेतु स्टैम्प ड्यूटी पर छूट का प्रावधान :**

संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र. से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रकरण भी उपयुक्त स्तर पर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है जिसमें शीघ्र ही निर्णय होने की सम्भावना है। सदन द्वारा इस विषय पर भी चर्चा हुई कि जब तक सरकारी निर्णय नही आता तब तक स्वयं सहायता समूहों के लिए रू. 100/- के स्टैम्प पेपर पर ही कार्य कर लिया जाये।

4. बुनकर क्रेडिट काई योजना का क्रियांवयन:

इस योजना के उद्देश्यों से विदित कराते हुए सदन को अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि नोडल विभाग द्वारा शाखाओं को अग्रसारित होने वाले आवेदन पत्र पूर्णतया भरे होने चाहिए। साथ ही साथ सिण्डीकेट बैंक के समंवय में गठित उप समिति की बैठक दिनांक 24.11.2015 का भी उल्लेख किया गया जिसमें बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति एवं रणनीति पर चर्चा की गयी थी ताकि आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण हो सके एवं लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके।

5. बैंको द्वारा LBS – MIS I, II & III – आंकड़ो का प्रेषण :

सदन मे इस विषय पर चर्चा की गयी कि समस्त बैंक इन आंकड़ो का सुसंगत एवं ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करना सुनिश्चित करें जिससे प्राप्त आंकड़ो को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्धारित समय सीमा (15 दिन) के अन्दर प्रेषित किया जा सके।

कार्यसूची संख्या – 3
वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन

क) प्रधानमंत्री जन – धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

भारत सरकार द्वारा लागू इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। योजनांतर्गत प्रदेश में सभी बैंको द्वारा अभी तक लगभग -2.91- करोड़ खाते विभिन्न बैंक शाखाओं में खोले गये हौ जिनमें से लगभग -2.65- करोड़ खातो में रूपे डेबिट कार्ड जारी किये गये है। प्रदेश में इस कार्यक्रम की सफलता के प्रयासों को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सराहा गया है। इसी क्रम में सदन को बताया गया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F No. 1/56/2014-FI दिनांक 18.09.2015 के माध्यम से "प्रधानमंत्री जन धन योजना" के अंतर्गत कुल -10- मानदण्डों में से एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) को -6- मानदण्डों में अव्वल पाया गया है तथा सर्टिफिकेट के माध्यम से इन प्रयासों की सराहना की गयी है।

सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने एस.एल.बी.सी.(उ.प्र.) की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। महाप्रबन्धक एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) ने इस उपलब्धि हेतु सबको धन्यवाद ज्ञापित किया एवं यह बताया कि यह सभी के सहयोग एवं मार्गदर्शन से ही सम्भव हुआ है।

ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई) –

भारत सरकार द्वारा उदघोषित -2- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व एक पेंशन योजना की प्रगति से सदन को अवगत कराया गया जिसके अनुसार इन योजनाओं में दिनांक 15.10.2015 तक कुल -1.42- करोड़ प्रदेशवासियों ने एनरोलमेंट किया है।

इन योजनाओं के सफल क्रियांवयन हेतु शाखा से सम्बद्ध बैंक मित्रों (बी.सी.) का योगदान भी लिया जा रहा है। इन सुरक्षा बीमा योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः -898- व -1057- दावे विभिन्न शाखाओं में

दर्ज किये गये जिसके सापेक्ष -641- मामलों में बीमा दावों का निस्तारण कर सम्बन्धित व्यक्तियों को बीमा का लाभ पहुँचाया जा चुका है। -41- मामलों में दावे निरस्त किये गये है जबकि -34- अन्य मामलो में दावा निस्तारण की प्रक्रिया की जा रही है। -341- मामलों में प्रक्रिया विचाराधीन है।

ग) सुरक्षा बन्धन - "रक्षाबन्धन" की पृष्ठभूमि में फेसिलिटेशन अभियान के अंतर्गत उपरोक्त बीमा योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा -3- नयी जमा योजनाएं -यथा- "सुरक्षा जमा योजना (रू 201/-)"; "जीवन सुरक्षा जमा योजना(रू 5001/-)" एवं "जीवन सुरक्षा उपहार चेक (रू351/-)" को आरम्भ किया गया है।

सदन में इन सभी योजनाओं के व्यापक प्रचार- प्रसार हेतु बैंक शाखाओं द्वारा की जा रही कार्यवाही पर वृहत चर्चा की गयी। इसी क्रम में योजनांतर्गत प्रगति पर भी चर्चा हुई।

घ) -2000- व उससे अधिक तथा -2000- से कम आबादी वाले गाँवों का आच्छादन –

-2000- व उससे अधिक आबादी वाले -16388- गाँवों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता हेतु कार्यवाही पूर्व में ही सुनिश्चित की जा चुकी है। -2000- से नीचे वाली आबादी के -76855- गाँवों हेतु रोडमैप तैयार कर वित्तीय समावेशन का कार्य किया जा रहा है। सदन को यहाँ अवगत कराया गया कि "प्रधानमंत्री जन- धन योजना" के अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवारों का न्यूनतम -1- बैंक खाता खोल कर पूरे प्रदेश को आच्छादित घोषित किया जा चुका है। अत: ये सभी गाँव वित्तीय समावेशित घोषित किये जाने के दायरे में आते है।

ड) स्कूल बैंक चैम्प्स प्रोग्राम –

वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि में स्कूल विद्यार्थियों को वित्तीय जागरूकता से अवगत कराने हेतु भारतीय बैंक संघ (Indian Bank Assocation) ने **"स्कूल बैंक चैम्प्स प्रोग्राम"** का शुभारम्भ समस्त बैंकर्स के माध्यम से किया है। इस पहल के अंतर्गत बैंको की सभी शाखाओं द्वारा एक विद्यालय को अंगीकृत किया जाना है। समस्त सदस्य बैंको द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गयी। योजनांतर्गत समस्त बैंको द्वारा कुल -7559- स्कूल, अंगीकृत किये गये। -2607- स्कूलों में कुल -2328- प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये। जिनमें कुल -158153- विद्यार्थियों ने भाग लिया।

कार्यसूची संख्या – 4 (हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट काई योजना क्रियांवयन)

इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सहायता पहुँचाना है। यह योजना सभी ग्रामीण एवं अर्ध शहरी, शहरी क्षेत्रों में लागू है।

योजनांतर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु सिण्डीकेट बैंक के समंवयन में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति का गठन किया गया है जो योजनांतर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा करती है। इस उपसमिति की सितम्बर तिमाही की बैठक दिनांक 24.11.2015 को प्रमुख सचिव (हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग), उ.प्र. सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी। इस बैठक में बैंकर्स द्वारा स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष मार्जिन मनी एवं ब्याज उपादान राशि जो नाबार्ड से प्राप्त होती है, के प्राप्त न

होने पर भी विस्तृत चर्चा की गयी। इसी क्रम में लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भरपूर प्रयास करने हेतु बैंकर्स का आह्वान किया गया।

कार्यसूची संख्या – 5 (वार्षिक ऋण योजना 2015-16 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के अंतर्गत सितम्बर' 2015 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति से सदन को अवगत कराया गया जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत 46.17% रहा है। इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि विगत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष कुल ऋण वितरण समग्र रूप से रू 10922.21 करोड़ अधिक रहा है।

सदन में उपस्थित समस्त सदस्य बैंको से कृषि क्षेत्र में वृद्धि हेतु विशेष ध्यान देने हेतु आग्रह किया गया। इसी क्रम में अग्रणी जिलो से सम्बन्धित LBS MIS I, II एवं III का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करना सुनिश्चित करें ताकि समेकित आंकड़ो का प्रेषण, भारतीय रिजर्व बैंक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय व अन्य एजेंसीज को निर्धारित समयावधि पर किया जा सके।

कार्यसूची संख्या – 6 (ऋण जमा अनुपात)

सदन में प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) पर विस्तृत चर्चा हुई और इसे बढाने हेतु सदन में विचार विमर्श किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सितम्बर 2014 के सापेक्ष सितम्बर 2015 में ऋण जमा अनुपात में 1.28% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है और समीक्षा अवधि के दौरान तिमाही में भी 0.11% की वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़े यह भी दर्शाते है कि प्रदेश के कुल -75- जनपदों में से -12- जनपदों में ऋण जमा अनुपात 40% से कम रहा है। प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के संयोजन में एक उपसमिति का गठन किया गया है जिसकी नियमित त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जा रही है।

कार्यसूची संख्या – 7 (पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने हेतु प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों, जहाँ इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है, में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा विस्तृत समीक्षा की जा रही है।

कार्यसूची संख्या – 8 (किसान क्रेडिट काई/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/आर.के.बी.वाई.)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत द्वितीय तिमाही के दौरान प्रदेश में कुल -23,09,745- किसानों को इस योजनांतर्गत आच्छादित किया गया है जिनमें से -15,48,520- किसानों के किसान कार्डस का नवीनीकरण किया गया है तथा कुल -7,61,225- नये कार्ड किसानों को जारी किये गये है। इस प्रकार इस योजना की प्रगति से यह परिलक्षित होता है कि कृषि ऋण में क्रमवार वृद्धि दर्ज की जा रही है। सदन में इस प्रकरण पर भी विस्तृत चर्चा की गयी कि प्रदेश में समस्त

किसानों को इस योजना से आच्छादित किया जाये जिससे पूरा प्रदेश संतृप्त घोषित किया जा सके। इस कार्य में कृषि विभाग के सहयोग का आह्वान किया गया।

श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा समस्त के.सी.सी. धारकों को रूपे कार्ड जारी करने की आवश्यकता बतायी गयी जिससे वे ए.टी.एम. के माध्यम से आवश्यक धनराशि प्राप्त कर सकें। हाँलाकि बैंक शाखाओं में के.सी.सी. धारक कृषकों की संख्या को देखते हुए यह एक वृहत कार्य प्रतीत होता है, फिर भी बैंकर्स द्वारा इस कार्य की सफलता के लिए प्रयास किये जाने हेतु चर्चा की गयी। प्रदेश में हाल में ही आयी प्राकृतिक आपदा से ग्रसित -50- जनपदों में जहाँ 33% से अधिक फसल हानि हुई है, वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के नवीन दिशा निर्देश दिनांक 21.08.2015 द्वारा जारी किये गये निर्देशों के क्रियांवयन पर विस्तृत चर्चा मुख्य महाप्रबन्धक महोदय द्वारा की गयी।

श्री रजनीश गुप्ता, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (पशुपालन), उ. प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में प्रदेश सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं यथा कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना तथा कुक्कुट पालन विकास योजना हेतु एक पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया।

उन्होंने कहा कि यह तीनों योजनाएँ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ है तथा बैंको द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत अभी तक अच्छा कार्य किया गया है। परंतु इस दिशा में और बेहतर कार्य किये जाने की सम्भावनाएँ व्याप्त है। उन्होंने डेयरी विकास हेतु सरकार द्वारा लागू नवीन योजना – माइक्रो कामधेनु योजना का उल्लेख करते हुए इसकी विशेषताओं से अवगत कराया।

उन्होंने समस्त बैंकर्स से आह्वान किया कि वे योजनांतर्गत ऋण की स्वीकृति और वितरण में समय सीमा 1 माह से अधिक न रखे और शाखा स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्रतापूर्वक करते हुए सहयोग प्रदान करें। इस क्रम में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने सभी बैंको से वांछित सहयोग का अनुरोध किया।

- शाखाओं को प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का विवरण जानने के लिए पशुपालन विभाग ने अपने वेबसाइट में एक लिंक विकसित किया है जिस पर क्लिक करके लम्बित आवेदन पत्रों का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। तदोपरांत प्रत्येक बैंक के उच्चाधिकारी उन शाखा प्रबन्धकों से सम्पर्क कर लम्बित आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश प्रदान कर सकते है।

- कुक्कुट पालन विकास योजना के अंतर्गत योजना के अनुपालन हेतु समस्त बैंक शाखाओं को परिपत्र जारी किये गये है जिसके आधार पर जिले के अग्रणी बैंक प्रबन्धकों के माध्यम से योजना का सफल क्रियांवयन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- स्वीकृत ऋण राशि के सापेक्ष प्रतिभूति/ सम्पार्श्विक प्रतिभूमि हेतु सम्पत्ति बन्धक हेतु व्याप्त दिशा निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

कार्यसूची संख्या – 9 (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में चर्चा की गयी। इस क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की विस्तृत चर्चा की गयी तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बैंको से अनुरोध किया गया कि योजनांतर्गत आवंटित सभी लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु बेहतर कार्य – निष्पादन करें।

कार्यसूची संख्या – 10 (साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

इन दोनों योजनाओं की समीक्षा एवं अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंको की ऋण वसूली की स्थिति में गत वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक सुधार हुआ है।

सदन मे इस विषय पर निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बैंक द्वारा उसके सम्बद्ध अग्रणी जिले के 50 बड़े आर.सी. खातेदारों की सूची बनायी जाए और उसे सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही एवं सहयोग हेतु अनुरोध कर प्रेषित किया जाए। यदि इस सम्बन्ध में प्रशासन का सहयोग न प्राप्त हो तो सूची सीधे संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र. को भेजी जाए जहाँ से क्रमबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसी क्रम में यह भी अवगत कराया गया कि सितम्बर 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंको का गैर- निष्पादक आस्ति स्तर 4.91% रहा जो गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष 1.49% कम हुआ है।

कार्यसूची संख्या – 12 (अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

बैंकर्स द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। आलोच्य अबधि तक पूरे प्रदेश में बैंको द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को उपलब्ध धनराशि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त ऋण का क्रमशः 18.35% (खाते) एवं 13.74% (धनराशि) है। साथ ही प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में समुदाय सदस्यों को प्रदत्त ऋण क्रमशः 25.46% (खाते) एवं 22.08% (धनराशि) रहा है।

कार्यसूची संख्या – 13 (स्वयं सहायता समूह)

नाबार्ड द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के सृजन व बैंक लिंकेज का कार्य बैंको द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सदन को यह बताया गया कि प्रदेश के आठ चिन्हित नक्सल प्रभावित पिछड़े जिलों